न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—19/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00019)

1. रामस्वरूप पुत्र श्री मोहनलाल जाति धोबी निवासी कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. रामवतार पुत्र श्री मोहनलाल जाति धोबी निवासी डीडवाडा किशनगढ़ तहसील जिला अजमेर।
3. श्रीमती सूरज पुत्री कैलाश
4. कमला पुत्री श्री मोहनलाल
5. जसोदा पुत्री श्री मोहनलाल
   जाति धोबी निवासी गोगालाव तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
6. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल
7. महेश पुत्र रसाल
   जाति धोबी निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री मदनलाल जाति धोबी निवासी डीडवाना तहसील किशनगढ जिला अजमेर हाल निवासी आजाद नगर मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र रमेश
3. अयोध्या देवी पत्नी स्व0 रमेश
4. इंद्रा पुत्री ओमप्रकाश
5. सीमा पुत्री ओमप्रकाश
6. रेखा पुत्री ओमप्रकाश
7. सोनू पुत्री ओमप्रकाश
   समस्त जाति धोबी निवासी संजय नगर कच्ची बस्ती डी0एस0एस अजमेर रोड़ जयपुर।
8. रतनी पत्नी सोहनलाल
9. रामदेव उर्फ लूंगा पुत्र सोहनलाल
10. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल
11. विद्या पुत्री सोहनलाल
12. समना पुत्री सोहनलाल
13. मंजू पुत्री सोहनलाल
    जाति धोबी निवासी आजाद नगर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
14. शैतान पुत्र स्व0 नन्दा जाति धोबी निवासी डीडवाना तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ।

असल रेस्पोडेन्ट्स

16. गुन्नी पुत्री रसाल पत्नी सीतारामजी जाति धोबी निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
17. किरण पुत्री रसाल पत्नी शंकर जाति धोबी निवासी अजमेर।
18. राजू पुत्री रसाल पत्नी सीताराम जाति धोबी निवासी सेवा तहसील दूदू जिला जयपुर।
19. पुष्पा पुत्री रसाल पत्नी दशरथ जाति धोबी निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
20. रेखा पुत्री रसाल पत्नी अनिल जाति धोबी निवासी रेण तहसील मेडता जिला नागौर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.2016 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, राजस्व वाद संख्या 70/2005

उपस्थितः–

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7,9 से 14
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 8, 16 से 20 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 70/2005 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वास्ते बंटवारे हेतु उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा तौर पर बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिए ही विपक्षी द्वारा प्रस्तुत धारा 152 सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए उनके द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.11.2016 में संशोधन करते हुए उपरोक्तानुसार निर्णय पारित करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 07, 9 से 14 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 08, 16 से 20 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।
4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.6.2018 को हुई जिस दिवस उपरोक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट डींडवाना में बंटवारा प्रस्ताव बनाने हेतु नियत किया गया था। तब लोक अदालत ग्राम पंचायत डींडवाना के अटल सेवा केंद्र में पत्रावली नियत होने से प्रार्थीगण अपने स्वयं के गांव में केम्प आयोजित होने से वहां गए थे तब उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के रीडर द्वारा यह कहा गया कि आपका प्रकरण विचाराधीन है जिसमें आपको तारीख के लिए हस्ताक्षर करने अनिवार्य है तब हमारे द्वारा उपरोक्त पत्रावली पर हस्ताक्षर किए गए तब जाकर प्रार्थीगण को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क किया जाकर दिनांक 26.11.2018 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त की तत्पश्चात प्रार्थीगण की बहनें तीर्थ यात्रा पर चली गई जिससे कि प्रार्थीगण द्वारा समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि केम्प कोर्ट में लोक अदालत सिर्फ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार आपस में रजामंद हो परंतु उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा लिखित में कोई सहमति नहीं दी गई व न ही अपीलांट के अभिभाषक की कोई बहस सुनी गई, गलत तौर पर पक्षकार अपीलांट को तारीख देने बाबत कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाए वह भी बंटवारा प्रस्ताव बाबत लोक अदालत केम्प कोर्ट में दिनांक 18.6.2018 नियत की गई इस प्रकार सर्वप्रथम अपीलांटस को उपरोक्त गैर कानूनी निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 18.6.2018 को हुई। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने जो एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए जाने के पश्चात ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है परंतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने प्रकरण को लोक अदालत केम्प कोर्ट डिडवाडा में नियत कर जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। बंटवारे के वाद में लगान का बंटवारा किया जाना भी न्यायिक रूप से अनिवार्य है परंतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने नियमों के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किया वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में कोई सहमति प्रदान नहीं की थी इसके बावजूद भी उनके द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.11.2016 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व में होने से एक पक्षीय बहस सुनी जाकर बिना तनकीयात कायम किए एक तरफा तौर पर निर्णय व डिक्री पारित की गई वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। बंटवारे के वाद में बंटवारा प्रस्ताव बाबत लैण्ड होल्डर तहसीलदार, किशनगढ को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब करना अनिवार्य है इसके बावजूद भी उपरोक्त प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी/वादी द्वारा की गई फर्जी कार्यवाही के लिए अपीलांटस द्वारा अलग से फौजदारी कार्यवाही फौजदारी न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध की जा रही है। प्रतिवादीया संख्या 9 श्रीमती नौरती पत्नी स्व0 मोहन का निर्णय पारित करने से पूर्व देहान्त हो गया था जिसके बावजूद भी बिना कायम मुकाम कार्यवाही किए व बिना वारिसान को सुनवाई का अवसर दिए हुआ जो निर्णय पारित किया है वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किए जाने से प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 4.11.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.1.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या 387 रकबा 86-17-00 भूमि ग्राम डीडवाडा में स्थित है। उक्त वाद वर्णित कृषि आराजी में वादी एवं प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी स्व0 मदनलाल के वारिसान है तथा मदनलाल एवं उसकी पत्नी के स्वर्गवास के पश्चात मृतक मदनलाल के 1/4 हिस्से का फौती का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नामांतकरण वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में भरा जा चुका है। इस प्रकार स्व0 मदनलाल के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है। वादीगण आए दिन भूमि के लगान अदायगी में आनाकानी करते हैं एवं कम ज्यादा का विवाद करते रहते है। जिससे प्रतिवादी को स्वयं के हिस्से की भूमि को काश्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादी स्व0 मदनलाल के हिस्से की भूमि में से स्वयं के 1/2 हिस्से का अलग से खाता खुलवाने लगान कायम करवाने एवं नीव सीव सहित से बंटवारा करवाने का अधिकारी है, इसलिए दावा प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी सहमति दिये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया गया है। लोक अदालत की भावाना से आपसी सहमति से किए गऐ निर्णय को अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । **अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अपीलांटस अंदर मियाद शुमार की जाती है ।**

9. प्रकरण में गुणागुण पर पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत प्रस्तुंत कर वाद में दर्शाये अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित करने का निवेदन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 17.09.2007 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बंद कर, शहादत वादी हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 04.11.2016 को एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.11.2016 में अंकित किया गया है कि "पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से विभाजन चाहा । उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिकी किया जाता है।" विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने अपील मीमों में कथन किया है कि उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति बावत् कोई लिखित सहमति नहीं दी गई थी ना ही परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को सुना गया था। हस्तगत प्रकरण में किसी भी पक्षकारान के सहमति बावत् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका पर किसी भी पक्षकारान एवं उनके अभिभापक के हस्ताक्षर नही लिये गये तथा ना प्राथमिक डिक्री बावत् सहमति दी गई है जो आदेशिका दिनांक 04.11.2016 को जो अंकन किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। चूंकि प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.2016 ही त्रुटिपूर्ण है तो इसके बाद की संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2017 स्वतः ही सारहीन है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

किए बिना एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता हैं। उपरोक्त कारणों से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.2016 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2017 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है।

10. परिणामत् अपीलांटरा द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद संख्या 70/2005 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.2016 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में विधिनुसार निर्णय पारित करें । तत्पश्चात् तहसीलदार स्वंय द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, बंटवारा प्रस्ताव पर आक्षेप आमंत्रित कर उनका निरस्तारण करने के उपरान्त ही वाद में अंतिम डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान दिनांक 3.01.2023 को उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होवें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर